COURT FEE 20 रु. Rs.20 INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10 रु. Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

(100)

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
प्र./निगरानी/छिंदवाड़ा/भू-रा/2017/2143

रोहित सूर्यवंशी पिता शरदप्रसाद सूर्यवंशी,
निवासी आदित्यधाम के सामने, आदर्श नगर,
परासिया रोड, छिंदवाड़ा, तह0जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0

--- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. अनीक मोहम्मदखान पिता मोहम्मद अमीरउल्ला खान,
निवासी दीवान्जी मोहल्ला छिंदवाड़ा, पोस्ट-तह0-
जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0

----- उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता-1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है:-

1. यह कि उत्तरवादी अनीक मोहम्मद खान द्वारा धारा-129 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा लोनिया करबल, ब0नं0-526, प0ह0नं0-35, रा0नि0मं0 छिंदवाड़ा-2, तहसील व जिला छिंदवाड़ा में स्थित गैर-कृषिभूमि खसरा नंबर-107, 108, 109, 165, रकबा 0.074 हे0 का राजस्व निरीक्षक छिंदवाड़ा-2 से सीमांकन कराने हेतु न्यायालय तहसीलदार छिंदवाड़ा-2, जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0 में रा0प्र0क्र0-43/अ-12/2015-16 अनीक मोहम्मद विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 6/4/2016 को सीमांकन कर दिनांक 7/4/2016 को सीमांकन प्रतिवेदन बनाया गया। इस सीमांकन कार्यवाही से क्षुब्ध होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है :-

नोट:- सीमांकन दिनांक 6/4/2016 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 7/4/2016 की जानकारी सर्वप्रथम दि0 22/5/2017 को श्रीमान तहसीलदार छिंदवाड़ा-2 के न्यायालय की पेशी पर रा0प्र0क्र0-11/अ-70/2016-17 अनीक विरुद्ध रोहित सूर्यवंशी में पेशी पर उपस्थित व प्रकरण का अवलोकन करनेपर जानकारी होते ही संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/2143

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला छिंदवाड़ा के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा</u>**	